न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी महेन्द्र लोढ़ा, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 30/2017 दायरा दिनांक : 13.02.2017

उनवान

कालू लाल आत्मज नन्द लाल, जाति भील, निवासी नारायणखेड़ा, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़

.... अपीलांट

बनाम

1– गोरधन सिंह आत्मज तेज सिंह, जाति राजपूत, निवासी सातलखेड़ी, सरपंच नारायणखेड़ा, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़

2– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार पचपहाड, जिला झालावाड़

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री सी पी खण्डेलवाल अभिभाषक अपीलांट की ओर से

निर्णय दिनांक : 28.09.2020

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, भवानीमण्डी के प्रकरण संख्या – 44/दावा/2014 निर्णय व डिक्री दिनांक 14.06.2016 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि निर्णय एवं डिक्री अधीनस्थ न्यायालय विधि एवं न्याय के विपरीत है, जो निरस्त होने

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

योग्य है । अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित आराजी के मामले में वाद अन्तर्गत धारा 88, 91, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत करने में त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दावे का निर्णय अपीलांट वादी की अनुपस्थिति में राजस्व कैम्प नारायणखेड़ा पर करने में त्रुटि की है । कानूनन राजस्व लोक अदालत में उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जा सकता है जिसमें दोनों पक्षकार सहमत हो, जबकि अपीलांट राजस्व लोक अदालत में उपस्थित ही नहीं था । अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद से सम्बन्धित पत्रावली जवाब दावे के लिये तारीख नियत थी । अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेंट का जवाब लेकर तनकीयात कायम किये बिना एवं साक्ष्य लिये बिना ही प्रकरण का निर्णय कर दिया जो त्रुटिपूर्ण है । विवादित आराजी 5 बीघा का आवंटन जर्ये मिसल नम्बर 513 दिनांक 08.08.63 को वादी को हुआ था तब से वादग्रस्त आराजी पर वादी का कब्जा चला आ रहा है । वादी का नाम जमाबंदी में दर्ज कर दिया गया आवंटित आराजी पर वादी ने कुआ भी खुदवाया एवं सन् 63 से ही काबिज चला आ रहा है । परन्तु बाद सैटलमेंट नवीन जमाबंदी में अपीलांट के खातेदारी का इन्द्राज नहीं होकर आराजी चारागाह दर्ज कर दी, अतः दावा खारिज किया जाये । अपीलांट को सुनवाई का पर्याप्त अवसर नहीं दियाजाना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सिविल प्रकिया संहिता के प्रावधानों की पूर्ण रूप से अवहेलना की है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री अपास्त किया जावे ।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 21.12.2016 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई ।

(महेन्द्र लोका)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 28.04.2016 को पत्रावली जवाबदावे में लम्बित थी । आदेशिका दिनांक 02.06.2016 को पत्रावली लोक अदालत हेतु दिनांक 14.06.2016 को पेश हो । आदेशिका दिनांक 14.06.2016 को कैम्प में वादी व प्रतिवादी दोनों अनुपस्थित लिखकर निर्णय पारित किया गया, जबकि वादी अनुपस्थित लिखा तो वादी का वाद अदम हाजरी में खारिज होना चाहिए । वादी एवं प्रतिवादी ने कोई सहमति नहीं दी है। अतः अपील स्वीकार की जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 14.06.2016 अपास्त की जाये ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है ।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया । प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को सुनवायी का अवसर दिये जाने हेतु जरिये सम्मन तलब किया गया । प्रतिवादी नम्बर 1 जरिये अभिभाषक उपस्थित हुआ । प्रकरण जवाबदावे में विचाराधीन था कि इसी दौरान राज्य सरकार द्वारा लोक अदालत न्याय आपके द्वार अभियान 2016 चलाया गया । प्रकरण को राजस्व लोक अदालत कैम्प नारायणखेड़ा पर दिनांक 14.06.2016 को रखा गया । वादी एवं प्रतिवादीगण को राजस्व लोक अदालत कैम्प नारायणखेड़ा पर उपस्थित होने हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया । वादी अनुपस्थित रहा तथा प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 उपस्थित हुए । प्रतिवादी नम्बर 2 ने वाद पत्र के पैरा नम्बर 1 अस्वीकार तथा पैरा नम्बर 2 लगायत 8 वादी स्वयं सिद्ध करें तथा पैरा नम्बर 9 व 11 कानूनी तथा पैरा नम्बर 12 में अ, ब, स में वादी द्वारा चाही गयी राहत वादी पाने की पात्रता नहीं रखता है क्योंकि जमाबंदी सम्वत 2067–2070 खाता संख्या 517 किता 23 रकबा 274.17 बीघा में स्थित खसरा नम्बर 589/1 चारागाह में दर्ज रेकार्ड है इसलिए वादी का वाद चलने योग्य नहीं है । प्रकरण

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

की मजमेआम में मौतबीन व्यक्तियों से तथा उपस्थित ग्रामवासियों से जानकारी ली गई । वादग्रस्त आराजी की किस्म चारागाह रेकार्ड दर्ज है इसलिए वादी का वाद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मजमेआम में सुनवायी कर सही खारिज किया है, जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं । अतः अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 14.06.2016 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 28.09.2020 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

डिकरी व सीगे अपील

Jud/Civ
Part IV-4

(आ. 41, कायदा 35 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix G'9)

अज अदालत न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा मुकाम कोटा

महेन्द्र लोढा, आर.ए.एस. पीठासीन प्राधिकारी, कोटा (राजस्थान)

कालू लाल आत्मज नन्द लाल, जाति भील, निवासी नारायणखेड़ा, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड .....**अपीलांट**	**बनाम**	1– गोरधन सिंह आत्मज तेज सिंह, जाति राजपूत, निवासी सातलखेड़ी, सरपंच नारायणखेड़ा, तहसील पचपहाड, जिला झालावाड़ 2– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार पचपहाड, जिला झालावाड़ .... **रेस्पोडेंट**

अपील नं. **30/2017** एवं नाराजगी डिकी अदालत – **उपखण्ड अधिकारी, भवानीमण्डी**

मु.द.नं **44/दावा/2014** निर्णय एवं अंतिम डिकी दिनांक **14.06.2016**

दावा बाबत

माह अपील व तारीख 21 माह 09 सन् 2020

हाजरी **श्री सी पी खण्डेलवाल** अभिभाषक मिनजानिब अपीलांट
समाअत के लिये पेश होकर हुक्म हुआ कि :–

अपील अपीलांट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी दिनांक 14.06.2016 यथावत रखा जाता है ।

बाबत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख **28** माह **09** सन् **2020** को जारी किया गया ।

मोहर

(महेन्द्र लोढा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा राज.